उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 28.03.2026 का कार्यवृत्त

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 28.03.2026 को सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

(1) प्रो० (डॉ०) अजय सिंह, कुलपति, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – अध्यक्ष
(2) प्रो० (डॉ०) आर०के० धीमन, निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई०एम०एस०, लखनऊ – सदस्य (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)
(3) प्रो० (डॉ०) रमाकान्त यादव, प्रति–कुलपति, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – सदस्य
(4) प्रो० (डॉ०) एस० एन० शंखवार, निदेशक, आई०एम०एस०, बी०एच०यू०, वाराणसी। – सदस्य (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)
(5) प्रो० (डॉ०) राजेश कश्यप, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, हिमेटोलॉजी विभाग, एस०जी०पी०जी०आई०एम०एस०, लखनऊ (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया) – सदस्य
(6) प्रो० (डॉ०) प्रशान्त गुप्ता, प्रधानाचार्य, सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया) – सदस्य
(7) प्रो० (डॉ०) आदेश कुमार, संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय), उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – सदस्य
(8) प्रो० (डॉ०) अतुल कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष (दंत विज्ञान संकाय), उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – सदस्य
(9) प्रो० (डॉ०) जितेन्द्र प्रसाद मथुरिया, संकायाध्यक्ष (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय), उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – सदस्य
(10) डॉ० प्रवीण कुमार, संकायाध्यक्ष (फार्मेसी संकाय), उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – सदस्य
(11) प्रो० (डॉ०) राजेश कुमार वर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – सदस्य
(12) प्रो० (डॉ०) शैलेन्द्र पाल सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जनरल सर्जरी विभाग, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – सदस्य
(13) श्री दीपक वर्मा, कुलसचिव, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – सदस्य सचिव
(14) श्री जगरोपन राम, वित्त अधिकारी, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – विशेष आमंत्री

विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 28.03.2026 में कुल 18 में से 13 सदस्य उपस्थित रहे एवं 5 सदस्यों द्वारा बैठक में प्रतिभाग न कर सकने का संज्ञान लेते हुए गणपूर्ति (उपस्थिति पत्रक संलग्न) होने पर सर्वप्रथम कुलपति, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/अध्यक्ष– कार्य परिषद द्वारा कार्य परिषद के सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त कुलसचिव/सदस्य सचिव–कार्य परिषद द्वारा कार्य परिषद की अनुमति से बिन्दुवार एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

बैठक में एजेण्डावार विचार–विमर्श उपरान्त कार्य परिषद की कार्यवाही और लिये गये निर्णय निम्नवत् हैं:–

एजेन्डा बिन्दु/विषय	विवरण
एजेण्डा बिन्दु–1 विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सा विभाग में घटित घटना के संबंध में प्रकरण की जांच किये जाने हेतु दिनांक 19 मार्च, 2026 को 09 सदस्यीय समिति	1. विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष डा० ए०के० मिश्रा द्वारा पत्र दिनांक 18 मार्च, 2026 प्रेषित करते हुए उल्लेख किया गया कि उनके वार्ड में भर्ती महिला रोगी (Destitute) के साथ सन फैसिलिटी प्राइवेट लि०, सफाई सेवा प्रदाता के अधीन नियुक्त आउटसोर्स कर्मचारी रविन्द्र द्वारा यौन शोषण किया गया

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो० (डॉ०) अजय सिंह
कुलपति

गठित की गई थी। उक्त समिति को सभी स्टेकहोल्डर्स की ड्यूटी एवं जिम्मेदारियों का तथ्यात्मक परीक्षण करने तथा पर्यवेक्षण अथवा प्रणालीगत स्तर पर हुई किसी भी प्रकार की कमी (lapses) का परीक्षण करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे जिसे मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।	है, जिस कारण उक्त महिला रोगी गर्भवती हो गई है। 2. प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए विभागाध्यक्ष, मनोचिकित्सा विभाग द्वारा दिनांक 18.03.2026 को सैफई थाने में तहरीर दी गई, जिसके क्रम में पुलिस विभाग द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात् थाना सैफई द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट नं० 0032 दिनांक 19.03.2026 थाना सैफई में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस 2023) धारा 64(2) में दर्ज कर ली गई है। 3. विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित विभाग के आन्तरिक समस्त सम्बन्धित कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है। 4. दिनांक 18.03.2026 को प्रभारी, सीएसी को सम्बन्धित विभाग के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने के निर्देश दे दिए गए। 5. प्रति कुलपति द्वारा दिनांक 18.03.2026 को विभागाध्यक्ष, मनोचिकित्सा विभाग से सम्बन्धित प्रकरण की विस्तृत आख्या प्राप्त की गई। 6. प्रकरण में पीड़िता को न्याय दिलाने व उचित कार्यवाही करने के दृष्टिगत दिनांक 18.03.2026 को विश्वविद्यालय के अधिवक्ता से विधिक परामर्श प्राप्त करते हुए प्राप्त परामर्श के अनुसार कार्यवाहियाँ एवं जाँच समितियों का गठन कर दिया गया। 7. दिनांक 19.03.2026 को डा० ए०के० मिश्रा को मनोचिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष के पद के दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है एवं विभागाध्यक्ष के कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन करने हेतु संकायाध्यक्ष, चिकित्सा संकाय को नामित कर दिया गया। 8. दिनांक 19.03.2026 को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा मरीज के उपचार एवं उचित देखरेख हेतु विभागाध्यक्ष, ऑब्स एण्ड गायनी की अध्यक्षता में चिकित्सीय टीम का गठन कर दिया गया है, जिनके द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। 9. विश्वविद्यालय द्वारा प्रकरण में आईसीसी समिति (इंटरनल कम्प्लेंट कमेटी) के सदस्यों से भी आख्या मांगी गई, समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। 10. विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 19.03.2026 को नौ सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया जिसमें सम्बन्धित विभाग के सभी स्टेकहोल्डर्स की ड्यूटी एवं जिम्मेदारियों का तथ्यात्मक परीक्षण करेगी तथा पर्यवेक्षण अथवा प्रणालीगत स्तर पर हुई किसी भी प्रकार की कमी का भी परीक्षण करते हुए 48 घंटे के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। उक्त के क्रम में समिति द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत कर दी गई है।

<u>कार्य परिषद का निर्णयः</u>— मा0 कार्य परिषद के समक्ष समिति की रिपोर्ट से संबंधित सीलबंद लिफाफे को खोला गया। तदोपरान्त समिति की रिपोर्ट को पढ़कर मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया। मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्पूर्ण घटनाक्रम पर विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः—

1. **मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण में अब तक विश्वविद्यालय स्तर पर कृत कार्यवाही की सम्पुष्टि (Ratification) की गई।**
2. **मा0 कार्य परिषद द्वारा डी0एन0ए0 मैच कराये जाने एवं Medical Termination of Pregnancy हेतु की गई पृच्छा के क्रम में अवगत कराया गया कि डी0एन0ए0 सैम्पल लिये जा चुके हैं तथा Medical Termination of Pregnancy के लिये रिपोर्ट तैयार कर थानाध्यक्ष, सैफई को प्रेषित की**

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

जा चुकी है, मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

3. मा0 कार्य परिषद द्वारा मनोचिकित्सा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय जाँच कराये जाने का निर्णय लिया गया जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय जाँच प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये। विभागीय जाँच प्रारम्भ किये जाने हेतु निम्नलिखित को जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे मा0 कार्य परिषद द्वारा स्वीकार किया गयाः–
   1. प्रो0 (डॉ0) एस0पी0 सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक – जाँच अधिकारी (Investigating Officer)
   2. श्री राजकुमार सचवानी, प्रशासनिक अधिकारी – प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (Presenting Officer)
4. मा0 कार्य परिषद द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि विभागीय जाँच के दौरान संबंधित समस्त कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग भी संरक्षित की जाये।

एजेण्डा बिन्दु–2 दिनांक 29.01.2026 को विश्वविद्यालय के लेक्चर थियेटर–2 में छात्रों के साथ मारपीट एवं अभद्र व्यवहार किये जाने का प्रकरण संज्ञान में आने पर संबंधित चिकित्सा शिक्षकों/अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। चिकित्सा शिक्षकों/अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के अवलोकन एवं इस संबंध में मा0 कुलपति महोदय से प्राप्त निर्देश के क्रम में उक्त प्रकरण की तथ्यात्मक जांच हेतु Fact Finding Committee का गठन किया गया था। Fact Finding Committee द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है जिसे मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।	1. दिनांक 29.01.2026 को विश्वविद्यालय के लेक्चर थियेटर–2 में छात्रों के साथ मारपीट एवं अभद्र व्यवहार किये जाने के प्रकरण में कतिपय चिकित्सा शिक्षकों/अधिकारियों की संलिप्तता अथवा उनकी उपस्थिति में उक्त प्रकरण घटित होना प्रकाश में आया जिसका वीडियो फुटेज उपलब्ध है। वीडियो फुटेज में स्पष्ट हो रहा है कि डॉ0 नरेश पाल सिंह (अध्यक्ष–एंटी रैगिंग स्क्वाड) द्वारा कतिपय छात्रों को थप्पड़ मारे गये। 2. घटना की वीडियो में दिख रहे अन्य संकाय सदस्यों/अधिकारियों की पहचान की गई तथा निम्नलिखित कुल 06 संकाय सदस्यों/अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गयेः– 1. डॉ0 नरेश पाल सिंह, प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग 2. डॉ0 रूपक अग्रवाल, प्रोफेसर , पैथोलॉजी विभाग 3. डॉ0 निशा यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, एनाटॉमी विभाग 4. डॉ0 नंद किशोर गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, एनाटॉमी विभाग 5. डॉ0 शबाना अंदलीब अंसारी, एसोसिएट प्रोफेसर, पैथोलॉजी विभाग 6. श्री प्रेम पाल सिंह, सहायक सुरक्षा अधिकारी 3. उक्त संकाय सदस्यों/अधिकारियों द्वारा अपना–अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया। स्पष्टीकरण के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि चेयरमैन, एंटी रैगिंग कमेटी के पत्र सं0 117/M–1/ARC/UPUMS/2025–26 दिनांक 28.01.2026 द्वारा डॉ0 नरेश पाल सिंह, जो कि विश्वविद्यालय की एंटी रैगिंग स्क्वायड के चेयरमैन हैं, को MBBS प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ हुई दिनांक 26/27 जनवरी, 2026 की रात्रि रैगिंग की घटना की जाँच करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त जाँच हेतु एंटी रैगिंग कमेटी एवं एंटी रैगिंग स्क्वायड के कतिपय सदस्यों की उपस्थिति में उक्त घटना घटित हुई।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	4. तदोपरान्त उक्त घटना की तथ्यात्मक जांच हेतु कार्यालय आदेश सं0 6038 दिनांक 12.03.2026 के माध्यम से Fact Finding Committee गठित की गई। Fact Finding Committee की रिपोर्ट प्रस्तुत है।

कार्य परिषद का निर्णयः– मा0 कार्य परिषद के समक्ष समिति की रिपोर्ट से संबंधित सीलबंद लिफाफे को खोला गया। तदोपरान्त समिति की रिपोर्ट को पढ़कर मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया। मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्पूर्ण घटनाक्रम पर विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

1. मा0 कार्य परिषद द्वारा जाँच समिति के निष्कर्ष के आधार पर यह माना कि एण्टी रैगिंग स्क्वाड के अध्यक्ष डॉ0 नरेश पाल सिंह, प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन द्वारा एम0बी0बी0एस0 छात्रों को एण्टी रैगिंग स्क्वाड एवं एण्टी रैगिंग कमेटी के सदस्यों के समक्ष थप्पड़ मारे गये। चूंकि यह कृत्य स्वयं संकाय सदस्यों द्वारा छात्रों के साथ किया गया है, जो कि अत्यधिक गंभीर घटना है।
2. चूंकि यह घटना एण्टी रैगिंग स्क्वाड एवं एण्टी रैगिंग कमेटी के सदस्यों के समक्ष की गई है इसलिये एण्टी रैगिंग स्क्वाड एवं एण्टी रैगिंग कमेटी के सदस्यों को भी जिम्मेदार मानते हुए मा0 कार्य परिषद द्वारा एण्टी रैगिंग स्क्वाड एवं एण्टी रैगिंग कमेटी को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए नवीन एण्टी रैगिंग स्क्वाड एवं एण्टी रैगिंग कमेटी गठित करने के निर्देश दिये गये।
3. मा0 कार्य परिषद द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए डॉ0 नरेश पाल सिंह, प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किये जाने के निर्देश दिये गये।
4. मा0 कार्य परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत एण्टी रैगिंग स्क्वाड एवं एंटी रैगिंग समिति के घटना के दौरान उपस्थित समस्त संलिप्त संकाय सदस्यों और सहायक सुरक्षा अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जाँच के निर्देश दिये गये। विभागीय जाँच हेतु निम्नलिखित को जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे मा0 कार्य परिषद द्वारा स्वीकार किया गयाः–
    1. प्रो0 (डॉ0) अमित सिंह, चिकित्सा अधीक्षक – जाँच अधिकारी (Investigating Officer)
    2. श्री माहताब आलम खाँ, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी – प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (Presenting Officer)
5. मा0 कार्य परिषद द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि दिनांक 26/27 जनवरी, 2026 की रात्रि एम0बी0बी0एस0 प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ रैगिंग की घटना की भी जांच की जाये।

टेबल एजेण्डा

सी–डैक ई–सुश्रुत एचआईएमएस (DGME, उत्तर प्रदेश परियोजना) की तीन वर्षीय एमओयू अवधि समाप्त होने के परिप्रेक्ष्य में उ.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई में अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली (HIMS) सेवाओं की निरंतरता के संबंध में।	1. पृष्ठभूमि उ.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (UPUMS), सैफई द्वारा डीजीएमई, उत्तर प्रदेश परियोजना के अंतर्गत सी–डैक द्वारा विकसित ई–सुश्रुत अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली (HIMS) का उपयोग किया जा रहा है, जो प्रदेश के 22 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में लागू है। सी–डैक द्वारा दिनांक 06–03–2026 के ई–मेल के माध्यम से सूचित किया गया है कि सी–डैक, नोएडा एवं डीजीएमई, उत्तर प्रदेश के मध्य संपन्न तीन वर्षीय एमओयू दिनांक 25–12–2025 को समाप्त हो चुका है तथा अभी तक इसके विस्तार के संबंध में कोई औपचारिक आदेश निर्गत नहीं हुआ है। सी–डैक द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त एमओयू के विस्तार के अभाव में 31–03–2026 के पश्चात एचआईएमएस सेवाएं प्रदान करना संभव नहीं हो पाएगा, जिससे ओपीडी, आईपीडी, बिलिंग, प्रयोगशाला जांच एवं मेडिकल रिकॉर्ड (MRD) जैसी महत्वपूर्ण अस्पताल सेवाओं के बाधित होने की संभावना है।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

2. उ.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही

उक्त स्थिति एवं इसके रोगी देखभाल पर संभावित प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए, विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को पत्रांक 263/E/UPUMS/VCO/2025–26 दिनांक 07–03–2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है। साथ ही, एक उन्नत, चिकित्सक–अनुकूल, इंटरऑपरेबल एवं स्केलेबल एचआईएमएस के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रस्तुत किया गया। उक्त बैठक की कार्यवृत्त पत्रांक 275/E/VCO/UPUMS/2025–26 दिनांक 25–03–2026 के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की जा चुकी है, जिसमें वर्तमान व्यवस्था की अवधि समाप्त होने तथा तात्कालिक एवं दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है।

3. विचारार्थ विषय

यदि डीजीएमई, उत्तर प्रदेश एवं सी–डैक के मध्य एमओयू का विस्तार दिनांक 31 मार्च 2026 तक नहीं होता है, तो डिजिटल अस्पताल सेवाओं के बाधित होने का गंभीर जोखिम उत्पन्न हो सकता है, जो रोगी पंजीकरण, ओपीडी/आईपीडी सेवाएं, बिलिंग एवं वित्तीय कार्यप्रवाह, प्रयोगशाला एवं डायग्नोस्टिक एकीकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड की निरंतरता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इस प्रकार की स्थिति से रोगी सेवाओं एवं अस्पताल संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

4. प्रस्ताव

उपरोक्त स्थिति की तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए तथा रोगी सेवाओं की निर्बाध निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु, कार्यपरिषद से निम्न प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन अपेक्षित है:

"निर्णीत किया जाता है कि, यदि डीजीएमई, उत्तर प्रदेश एवं सी–डैक के मध्य एमओयू का विस्तार न होने के कारण दिनांक 31 मार्च 2026 के पश्चात ई–सुश्रुत एचआईएमएस सेवाएं बाधित होती हैं, तो उ.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई को डिजिटल अस्पताल संचालन की निरंतरता बनाए रखने हेतु आवश्यक अंतरिम व्यवस्थाएं करने के लिए अधिकृत किया जाए, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:–

1. वर्तमान प्रयोगशाला सूचना प्रणाली (स्प्रै) का विस्तार करते हुए उसमें ओपीडी, आईपीडी, बिलिंग, प्रयोगशाला जांच एवं एमआरडी आदि आवश्यक एचआईएमएस मॉड्यूल सम्मिलित करना;
2. उपयुक्त अंतरिम डिजिटल अथवा हाइब्रिड प्रणाली का अपनाना, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझा जाए;
3. रोगी सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने हेतु आवश्यक प्रशासनिक, तकनीकी एवं क्रय संबंधी कार्यवाही करना।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो० (डॉ०) अजय सिंह
कुलपति

	अतिरिक्त रूप से, कुलपति महोदय को इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाए, ताकि सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने तक रोगी सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।" **5. अनुमोदन अपेक्षित** कार्यपरिषद से उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार कर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध है।

कार्य परिषद का निर्णयः–

1. **मा0 कार्य परिषद द्वारा डीजीएमई, उत्तर प्रदेश एवं सी–डैक के मध्य एमओयू का विस्तार न होने की स्थिति में यदि दिनांक 31 मार्च, 2026 के पश्चात सी–डैक द्वारा एचआईएमएस सेवाएं दिया जाना स्थगित किया जाता है अथवा बाधित किया जाता है उस स्थिति में डिजिटल अस्पताल सेवाओं के निर्बाध संचालन के दृष्टिगत वर्तमान प्रयोगशाला सूचना प्रणाली (LIS) का विस्तार करते हुए उसमें आवश्यकतानुसार मॉड्यूल्स सम्मिलित करते हुए अन्तरिम डिजिटल अथवा हाईब्रिड प्रणाली अपनाने के संबंध में मा0 कुलपति महोदय को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया।**
2. **मा0 कार्य परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि चूंकि सी–डैक के माध्यम से प्रदेश के 22 मेडिकल कॉलेजों में ई–सुश्रुत के माध्यम से दिये जा रहे एचआईएमएस सेवाओं का संतोषजनक न पाया जाना संज्ञान में आया है, अतः विश्वविद्यालय द्वारा AI Enabled Enhanced एचआईएमएस क्रियाशील किये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित होगा। अतः अनुबंध विस्तार न होने की स्थिति में शासन की सहमति से टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से एचआईएमएस हेतु स्वतंत्र व्यवस्था अपनाये जाने की सहमति प्रदान की गई।**

अध्यक्ष–कार्य परिषद द्वारा बैठक के अंत में मा0 कार्य परिषद के समस्त सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

28/03/26

(दीपक वर्मा)
कुलसचिव एवं सचिव–कार्य परिषद,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।

(प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह)
कुलपति एवं अध्यक्ष–कार्य परिषद,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 28.03.2026

क्र0	नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर / ई-मेल	हस्ताक्षर
1.	Prof. (Dr.) Ajai Singh.	Vice Chancellor UPUMS, Saifai.		[signature]
2.	Dr. Ramakant Yadav	Pro Vice Chancellor UPUMS, Saifai		[signature]
3.	Sri Deepak Verma	Registrar UPUMS, Saifai		[signature]
4.	Dr. Adesh Kumar	Dean (Faculty of Medicine) UPUMS, Saifai	9045473801 dradeshkumar1974@gmail.com	[signature] 28/03/2026
5.	Prof. Biji Biju.	Dean (Faculty of Nursing) UPUMS Saifai	—	—
6.	Dr. Jitendra Prasad Mathur	Dean (Faculty of Paramedical Sciences), UPUMS, Saifai	8057483068, jitesh441@gmail.com	[signature] 28/03/2026
7.	Dr. Praveen Kumar	Dean (Faculty of Pharmacy) UPUMS, Saifai	9897112288 praveen deanpharmacy2015@gmail.com	[signature]

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 28.03.2026

क्र०	नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर / ई-मेल	हस्ताक्षर
8.	Dr. Atul Kumar Singh.	Dean (Faculty of Dental Sciences) UPUMS, Saifai	9452074514 drvatul148@gmail.com	[illegible]
9.	Dr. Rajesh Kumar Verma.	Prof & Head, Microbiology UPUMS, Saifai	8477973354 rshverma@gmail.com	[illegible]
10.	Dr. Shailendra Pal Singh	Prof. & Head, Gen. Surgery UPUMS, Saifai	9457879726 drspsinghsaifai@gmail.com	[illegible] 28/03/26
11.	Sri Jagroopan Ram	Finance Officer, UPUM Saifai		
12.	Prof. S.N. Shankhwar	Director, IMS, BHU Varanasi	—	Online
13.	Prof. R.K. Dhiman	Director, SGPGIMS, Lko.	—	Online
14.	Dr. Prashant Gupta	Principal, SNMC, Agra	—	Online
15.	Dr. Rajesh Kashyap.	Prof & Head, Haematology SGPGIMS, Lko	—	Online